न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 03/2021
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2021/162

निर्णय २५.१२.२०२५

सांवरमल दत्तक पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

—अपीलान्ट—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़
2. मोहनलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री राजूराम बाना अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट निम्न प्रकार से अपील प्रस्तुत करता है कि गाँव कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में खेत खसरा नम्बर 254/195 तादादी 7.33 हैक्टेयर बारानी के रूप में स्थित है। इस खेत में पहले से ही प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम से 1/6 हिस्सा भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में चली आ रही है। इस खेत के संयुक्त खातेदार शान्ति पुत्री किशनाराम व सावित्री पुत्री किशनाराम व सावित्री पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी कुन्तासर का भी 1/6 —1/6 दोनो का खातेदारी के रूप में हक व हिस्सा था, इन दोनो संयुक्त खातेदारी शान्ति व सावित्री ने अपना—अपना 1/6 हिस्सा दिनांक 11.01.2021 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार—पत्र के मुझ अपीलान्ट के पक्ष में उपहार कर दिया है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त उपहारपत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने एक नामान्तरणकरण दस्तावेज अपीलान्ट के पक्ष मे खोलकर व गिरदावर हल्का से जाँच करवाकर ग्राम पंचायत कुन्तासर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृति हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तरणकरण को दिनांक 06.07.2021 को गैर कानूनी रूप से व अवैधानिक रूप से अस्वीकृत किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड उपहार पत्र सम्पादित किया गया है और जो उपहार पत्र सम्पादित किया गया है वो किसनाराम की दोनो पुत्रिया शान्ति व सावित्री ने सम्पादित किया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत को अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरणकरण स्वीकृत करना था, परन्तु रेस्पोडेन्ट ने दुर्भावनापूर्वक वे द्वेषता के चलते जो यह नामान्तरणकरण अस्वीकृत किया गया है। वो विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है। और ग्राम पंचायत यानि रेस्पोडेन्ट का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट पहले से ही इस खेत में 1/6 हिस्से के रूप में सांवरमल दत्तक पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कुन्तासर के रूप में रेवन्यु रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। अपीलान्ट उपहार—पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर उक्त इन्तकाल अपने नाम से स्वीकृत कराने का अधिकारी है। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने मात्र दुर्भावनापूर्वक आशय से अपीलान्ट के नाम से नामान्तरणकरण अस्वीकृत किया है जो विधि विरूद्ध है। खातेदारी में अधिकारी रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्राप्त होते है। नामान्तरणकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसेडिंग होती है जो रेवन्यू कलेक्शन वगैरहा के लिये की जाती है। परन्तु ग्राम पंचायत ने अपने मनमाने तरीके से बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये पक्षपात परीके से जो यह निर्णय पारित किया है वो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंच[illegible] के बारे में जांच करके एकतरफा रूप से निर्णय पारित करने का कोई अधिक[illegible] रेस्पोडेन्ट द्वारा ही अपीलान्ट को मोतीराम का दत्तक पुत्र होने के संब[illegible] भी जारी किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अब दुर्भावनापूर्वक आशय से जो यह निर्[illegible] पारित किया है वो [illegible] होने योग्य है। अन्य तथ्य बहस के वक्त अर्ज कर दिये जायेंगे। अलोच्य निर्णय [illegible] ग्राम पंचायत कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का होने से यह अ[illegible] श्रीमानजी के श्रव[illegible]कार व क्षेत्राधिकार ही है। अलोच्य निर्णय दिनांक 06.07.2021 का होने से यह अपील हर प्रकार अन्दर मियात प्रस्तुत है। अपील पर पूर्ण कोर्ट फीस चस्पा कर दी गई है। अतः अपीलान्ट अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रस्तुत करके निवेदन करता है कि उपहार पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 11.01.2021 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में शान्ति व सावित्री के द्वारा खेत खसरा नम्बर 254/195 तादादी 7.33 हैक्टेयर रोही कुन्तासर के अपने–अपने 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी का नामान्तरणकरण संख्या 360 के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.07.2021 के निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तरणकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

अपीलान्ट अधिक्वता द्वारा अपनी बहस करतें हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टान अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि अपील में अंकित खसरा संख्या 254/195 रोही कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ में न्यायलय श्रीमान द्वारा मुकदमा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए मुकदमा नंबर 32/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया गया है। अन्तिम डिक्री जारी होने से पूर्व न्यायालय आदेश की पालना न कर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 ने अपीलान्ट के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करवा दिया गया है जो विधि सम्मत नही है एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2020 के अनुसार " खेत खसरा नंबर 255/195 तादादी 7.400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/195 तादादी 7.3300 हैक्टेयर रोही कुन्तासर खसरा नंबर 1589/144 तादादी 7.9700 हैक्टेयर रोही बिग्गा, खसरा नंबर 86 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 87 तादादी 2.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 88 तादादी 5.5600 हैक्टेयर रोही रेवाडा, खसरा नंबर 1 तादादी 12.5700 हैक्टेयर रोही बासी मारनोतान चक 1 तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 से 7 को बहिब खातेदार घोषित किया जाकर वादी को खसरा नंबर 1599/144 तादादी 7.9700 हैक्टेयर रोही बिग्गा, खसरा नंबर 255/195 तादादी 7.4000 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सांवरमल के खसरा नंबर 86 तादादी 0.01000 हैक्टेय, खसरा नंबर 87 तादादी 2.2700 हैक्टेयर,खसरा नंबर 88 तादादी 5.5600 हैक्टेयर रोही रेवाडा संपूर्ण एवं खसरा नंबर 255/195 तादादी 7.4000 हैक्टेयर रोही कुन्तासर में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 से 7 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 को दिया गया है। अतः वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 7 का हिस्सा भी दिया जा रहा है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र द्वारा स्टाम्प शुल्क वसूल करनें के वाद वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के खाता विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान मे रखतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करे। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व लेखों से डिलीट किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी हो।"

अन्तिम डिक्री जारी होने से पूर्व न्यायालय आदेश की पालना न कर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 ने अपीलान्ट के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करवा दिया गया है जो विधि सम्मत नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.12.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में इन्द्राज होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

(Seal: उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर))

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested